न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 186 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 293

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नवाराम पुत्र नरसाराम जाति मेघवाल निवासी तेमावास तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.आसूराम पुत्र भारताराम जाति चारण निवासी जसोल तहसील पचपदरा 2.ईश्वरसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जसोल तहसील पचपदरा 3.उमेश कुमार पुत्र रामगोपाल जाति सोनी तहसील पचपदरा निवासी जसोल तहसील पचपदरा 4.ओमप्रकाश पुत्र पारसमल जाति ओसवाल निवासी बाड़मेर 5कुंभाराम पुत्र मुकनाराम जाति कुम्हार निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी 6.कमला देवी पत्नी भीमाराम जाति मेघवाल निवासी बामसीन 7.कमला देवी पत्नी तगाराम जाति चारण निवासी जसोल तहसील पचपदरा 8.गौतमचंद पुत्र रामाराम जाति कुम्हार निवासी माजीवाला तहसील पचपदरा 9.चम्पादेवी पत्नी रतनाराम जाति देवासी निवासी जसोल तहसील पचपदरा 10.चम्पादेवी पत्नी हनुमानदास जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 11.जगदीशसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी जसोल 12.जम्मुदेवी पत्नी देवाराम जाति देवासी निवासी जसोल तहसील पचपदरा 13.डूंगरचंद पुत्र लादुराम जाति ओसवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

14.तगुदेवी पत्नी सांवलाराम जाति चारण
निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

15.तगाराम पुत्र करनाराम जाति चारण
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

16.तुलसीदेवी पत्नी भाखरराम
जाति चारण निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

17.पदमसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत
निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

18.फातमा पत्नी साबीर जाति मुसलमान
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

19.मदनलाल पुत्र पारसमल
जाति ओसवाल निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

20.रूपाराम पुत्र हड़मानराम जाति चारण
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

21.राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश
जाति माली निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

22.राणीदान पुत्र मंगलदान
जाति चारण निवासी सांगड

23.लेखदान पुत्र केसरदान
जाति चारण निवासी सांगड

24.ललिता देवी पत्नी जगदीशसिंह
जाति राजपूत निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

25.लीला कंवर पत्नी नरपतसिंह
जाति राजपूत निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

26.विमलादेवी पत्नी भंवरलाल
जाति ओसवाल निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

27.शांतिदेवी पत्नी पाबूराम जाति कुम्हार
निवासी जसोल तहसील पचपदरा

28.सुकी पत्नी रूपाराम जाति चारण
निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

29.सवाईदान पुत्र मंगलदान चारण
निवासी सांगड

30.सोहनराम पुत्र पारसमल
जाति ओसवाल निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

31.गंगासिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत
निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

32.उगम कंवर पत्नी अमरसिंह के कायम
मुकामः—

32/1.हिमांशुसिंह पुत्र गंगासिंह
जाति राजपूत निवासी जसोल
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

33.कंचनकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह
जाति राजपूत निवासी बालोतरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

34.भरत कुमार पुत्र सुल्तानमल मेहता
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा जिला बालोतरा

35.सरिता देवी मेहता पत्नी भरत कुमार
जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील
पचपदरा जिला बालोतरा

36.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा,जिला बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भगवतसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता

3.विप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं 4 से 36 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 06.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कंब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त विप्रार्थी को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। शेष विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति के होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 7 अधिवक्ता नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नही की गई है। इसके विपरीत प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दंखलदान्जी की जाती है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी की सीमाज्ञान फर्द भी एकपक्षीय तैयार करवाई गई है,जिसकी विप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। अतः में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2080–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 12.6.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में विवादित आराजी के आंशिक हिस्सा पर खसरा संख्या 148 का कब्जा पाया जाना उल्लेखित है,जिसके विरूद्व कार्यवाही किए जाने के लिए विधि में निहित प्रावधानों के तहत प्रार्थी स्वतंत्र है। लेकिन सीमाज्ञान रिपोर्ट में सीमाओं को लेकर विवाद की स्थिति का कहीं स्पष्ट आंकलन किए जाने की टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम तेमावास पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 149 क्षेत्रफल 1.2302 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने के लिए एक राजस्व टीम का गठन करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

06/12/24

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा